संख्या-924/2018/1763/22-2-2018-17(46)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 दिसम्बर, 2018***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शंकरलाल यादव पुत्र श्री चुम्मन लाल, निवासी-जिला-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-07.08.2018 दिनांक 06.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शंकरलाल यादव पुत्र श्री चुम्मन लाल, जो-अढमलपुर थाना लहरपुर जिला-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने जेवर व पैसों के लेन-देन के विवाद को लेकर दिनांक 11.05.2003 को अपने भाई को बांके से मारकर हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0न0 714/2003 धारा 302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट टैक कोर्ट सं0-01 सीतापुर के आदेश दिनांक 16.10.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.09.2018 तक 14 वर्ष 04 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 11 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु अपराध प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शंकरलाल यादव (बन्दी संख्या-42451) पुत्र श्री चुम्मन लाल, निवासी-जिला-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-924/2018/1763(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in